

राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

<<उप-मंडल>> : <<जिला>> जिला

विवाह प्रमाण पत्र

<<हिंदू विवाह अधिनियम, 1955>> <<विशेष विवाह अधिनियम, 1954>> के अन्तर्गत

प्रमाण-पत्र संख्या : <<प्रमाण-पत्र संख्या>>

जारी करने की तिथि : <<डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि >>

प्रमाणित किया जाता है कि इनके बीच विवाह

श्रीमान <<वर का नाम>>,

सुपुत्र श्री <<पिता का नाम>> और श्रीमती <<माता का नाम >>,

निवासी <<वर का पता >>

उम्र <<वर की उम्र>> जन्म <<जन्म तिथि>>

तथा

सुश्री <<वधू का नाम>>,

सुपुत्री श्री <<पिता का नाम>> और श्रीमती <<माता का नाम >>,

निवासी <<वधू का पता >>

आयु <<वधू की आयु>> जन्म <<जन्म तिथि>>

वर का
फोटो

वधू का
फोटो

प्रचलित प्रथा के अनुसार दिल्ली में <विवाह की तिथि> पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में विधिवत रूप से अनुष्ठापित किया जाता है:

1. <<श्रीमान/श्रीमती/सुश्री>> <<गवाह का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी>> का,
<<पिता/पति का नाम>> निवासी <<गवाह का पता>>

2. <<श्रीमान/श्रीमती/सुश्री>> <<गवाह का नाम>> <<पुत्र/पुत्री/पत्नी>> का,
<<पिता/पति का नाम>> निवासी <<गवाह का पता>>

विवाह अधिकारी के कार्यालय में <पंजीकरण की तिथि> को विधिवत पंजीकृत किया गया है,
जिला <<जिले का नाम>> इस कार्यालय में प्रस्तुत विवरण के आधार पर <विवाह पंजीकरण स्थान का पता>>,
दिल्ली।

वर के हस्ताक्षर: <<हस्ताक्षर>>

वधू के हस्ताक्षर: <<हस्ताक्षर >>

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित : <<प्राधिकारी का नाम>>

पदनाम : <<प्राधिकारी का पदनाम>>

स्थान : <<हस्ताक्षर करने का स्थल>>

हस्ताक्षर करने की तारीख और समय : <<हस्ताक्षर की तारीख और समय>>

1. यह प्रमाण-पत्र, समय-समय पर यथासंशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुरूप वैध है।
2. इस प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता की जांच <<सत्यापन के लिए वेब एड्रेस>> से की जा सकेगी। इस दस्तावेज के विवरणों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से तुलना करने पर किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में इसे अवैध माना जाएगा।
3. सत्यता की जांच का दायित्व दस्तावेज के उपयोगकर्ता का है।
4. किसी विसंगति की स्थिति में कृपया इस प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करें।